

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	221336.67	22994.16	244330.83	212976.21	50043.54	263019.75	205366.31	50108.66	255474.97	211386.14	50020.23	261406.37
<i>वसूलियां</i>	-2.36	...	-2.36
<i>प्राप्तियां</i>	...	-12105.00	-12105.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	221334.31	10889.16	232223.47	212976.21	43.54	213019.75	205366.31	108.66	205474.97	211386.14	20.23	211406.37
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	320.84	6.68	327.52	75.83	5.02	80.85	88.34	6.80	95.14	92.97	5.22	98.19
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	25.78	1.71	27.49	26.32	4.63	30.95	27.81	4.83	32.64	28.96	5.00	33.96
3. खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय	20.71	3.51	24.22	48.31	7.37	55.68	36.08	3.56	39.64	21.36	1.00	22.36
4. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.06	...	-0.06
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	367.27	11.90	379.17	150.46	17.02	167.48	152.23	15.19	167.42	143.29	11.22	154.51
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
खाद्य सस्मिडी												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सस्मिडी	139661.03	...	139661.03
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सस्मिडी	71733.36	...	71733.36
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)	205250.00	...	205250.00	197000.00	...	197000.00	203000.00	...	203000.00
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सस्मिडी	420.00	...	420.00	0.01	...	0.01	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00
जोड़-खाद्य सस्मिडी	211814.39	...	211814.39	205250.01	...	205250.01	197420.00	...	197420.00	203420.00	...	203420.00
9. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
9.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	22805.00	22805.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00
9.02 भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-12105.00	-12105.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
<i>निवल</i>	...	10700.00	10700.00
10. चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए स्कीम	0.46	...	0.46
11. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी	400.00	...	400.00	450.00	...	450.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम												
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	0.91	...	0.91	0.54	...	0.54	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
13. भंडारण और गोदाम	2.68	177.26	179.94	...	0.01	0.01	5.11	66.97	72.08
14. इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्रामि (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
चीनी उद्योग का विकास												
15. चीनी उद्योग विकास स्कीम												
15.01 चीनी उपकरणों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
16. वास्तविक वसूलियां	-2.30	...	-2.30
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	212226.14	10877.26	223103.40	205700.56	0.01	205700.57	198085.61	66.97	198152.58	204080.50	...	204080.50
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण	20.10	...	20.10	25.69	...	25.69	24.69	...	24.69	20.25	...	20.25
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
18. भारतीय खाद्य निगम की इक्रिटी पूंजी में निवेश	0.01	0.01	0.01	0.01
अन्य												
19. पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.29	...	0.29	1.00	...	1.00	3.93	...	3.93	0.10	...	0.10
20. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के लाभभागियों में जागरूकता पैदा करना	1.18	...	1.18
21. गन्ने की कीमतों के निर्धारण और किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े लंबित भुगतान (एकमुश्त भुगतान) का समय पर पूरा किए जाने हेतु सहायता देने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सन्धि	1.35	...	1.35
जोड़-अन्य	1.47	...	1.47	1.00	...	1.00	5.28	...	5.28	0.10	...	0.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	21.57	...	21.57	26.69	0.01	26.70	29.97	...	29.97	20.35	0.01	20.36
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
22. चावल का पीछिकीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	0.11	...	0.11
23. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन	8703.59	...	8703.59	7075.00	...	7075.00	7075.00	...	7075.00	7075.00	...	7075.00
24. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)	15.63	...	15.63	23.50	26.50	50.00	23.50	26.50	50.00	67.00	9.00	76.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	8719.33	...	8719.33	7098.50	26.50	7125.00	7098.50	26.50	7125.00	7142.00	9.00	7151.00
कुल जोड़	221334.31	10889.16	232223.47	212976.21	43.54	213019.75	205366.31	108.66	205474.97	211386.14	20.23	211406.37

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	212307.64	...	212307.64	205827.38	...	205827.38	198199.86	...	198199.86	204207.17	...	204207.17
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	320.78	...	320.78	75.83	...	75.83	88.34	...	88.34	92.97	...	92.97
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	189.16	189.16	...	43.53	43.53	...	49.13	49.13	...	20.23	20.23
4. खाद्य, भंडारण और माल गोदाम के लिए ऋण	...	10700.00	10700.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	212628.42	10889.16	223517.58	205903.21	43.53	205946.74	198288.20	49.13	198337.33	204300.14	20.23	204320.37
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	711.00	...	711.00	716.11	...	716.11	721.00	...	721.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8565.72	...	8565.72	6195.00	...	6195.00	6195.00	...	6195.00	6132.00	...	6132.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	140.17	...	140.17	167.00	...	167.00	167.00	...	167.00	233.00	...	233.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	59.53	59.53
जोड़-अन्य	8705.89	...	8705.89	7073.00	0.01	7073.01	7078.11	59.53	7137.64	7086.00	...	7086.00
कुल जोड़	221334.31	10889.16	232223.47	212976.21	43.54	213019.75	205366.31	108.66	205474.97	211386.14	20.23	211406.37

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
भारतीय खाद्य निगम												
1. भारतीय खाद्य निगम	177.26	47664.00	47841.26	0.02	26976.00	26976.02	66.97	25000.00	25066.97	0.01	28000.00	28000.01
जोड़-भारतीय खाद्य निगम	177.26	47664.00	47841.26	0.02	26976.00	26976.02	66.97	25000.00	25066.97	0.01	28000.00	28000.01
जमा सहकारी समितियों को ऋण												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	613.00	613.00	...	651.00	651.00	...	500.00	500.00	...	723.00	723.00
जोड़-जमा सहकारी समितियों को ऋण	...	613.00	613.00	...	651.00	651.00	...	500.00	500.00	...	723.00	723.00
जोड़	177.26	48277.00	48454.26	0.02	27627.00	27627.02	66.97	25500.00	25566.97	0.01	28723.00	28723.01

3. **खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला और गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद की सदस्यता शुल्क के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की स्थापना व्यय के लिए है।

7. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई):** सरकार के निर्णय के अनुसार दो खाद्य सस्मिडी योजनाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में सम्मिलित की गई हैं। स्कीम के तहत लक्ष्य आधारित लोक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से पीएचएच, एएवाई और एनएफएसए के अंतर्गत अन्य पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य अनाज वितरण किया जा रहा है।

8. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सस्मिडी:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अल्पोद्यम अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सस्मिडी दर पर चीनी प्रदान करने के लिए है।

9. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग के लिए अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

11. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंजीनरिंग बायलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टिलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

12. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों यथा - राज्य खाद्य आयोग और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सहायता के लिए है।

13. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है।

14. **इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्राप्ति (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना:** यह प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए है, जिसका उद्देश्य बैंकों को वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलटरी अथॉरिटी (पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत उपज पर किसानों और व्यापारियों को ई-एनडब्ल्यूआर के विरुद्ध गिरवी वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

15.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय:** यह प्रावधान एसडीएफ स्कीम के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

17. **माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों/ट्रांस्फार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

18. **भारतीय खाद्य निगम की इक्रीटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की इक्रीटी में पूंजी निवेश करने के लिए है।

19. **पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** यह प्रावधान (पीडीएस संचालन योजना के सुदृढीकरण का पूर्वी घटक) के तहत प्रावधान फेज -II (2024-28) के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में एनएफएसए के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन में लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है।

21. **गन्ने की कीमतों के निर्धारण और किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े लंबित भुगतान (एकमुश्त भुगतान) का समय पर पूरा किए जाने हेतु सहायता देने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सस्मिडी:** यह प्रावधान दो चीनी मिलों के 1.35 करोड़ रुपये के लंबित पड़े दावों को निपटने के लिए है जो व्यय के अंतर्गत है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.07.2023 को आदेश द्वारा विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।

23. **एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलर को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

24. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस):** यह प्रावधान टीपीडीएस ऑपरेशन्स के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण द्वारा लागू गए प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने और पीडीएस में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत है।